न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**अपील प्रकरण सं0 90/2015**

1. ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला, पंचायत समिति सादुलशहर तहसील सादुलशहर जरिये सरपंच कुलदीप कौर धालीवाल, ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला।

अपीलार्थी

**बनाम**

1. जैलासिंह पुत्र बघेरा सिंह जाति मजहबी निवासी हाथियावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1. श्री विक्रम बिश्नोई, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री मनोहर लाल सहारण अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट
3. श्री बी. एम. स्वामी, अधिवक्ता अप्रार्थी

**आदेश** **दिनांक :–18.12.2017**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट जैल सिंह पुत्र बधेर सिंह ने दिनांक 21.03.2001 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी जैल सिंह चक 28 एमजेडी के खाता सख्या 94/93 के पत्थर नम्बर 73/174 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 16,18, 22 ता 25 पत्थर नम्बर 74/175 के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 1 ता 5 जो कुल 11 बीघा बनते है जबकि 13 बीघा रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी का गैर खातेदारी भूमि है जिस पर अपीलांट व ओमप्रकाश, महेन्द्र ने कब्जा कर लिया है इनको बेदखल कर कब्जा प्रार्थी/ रेस्पोडेन्ट को दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र सख्या 02/2001 पर दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 11.03.2002 से स्वीकार कर अप्रार्थी/अपीलांट को बेदखल कर कब्जा दिलाने का आदेश दिया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश को माननीय न्यायालय में अपील संख्या 09/2002 अनवानी ग्राम पंचायत बना जैल सिंह वगैरा के माध्यम से चुनौती दी। माननीय न्यायालय द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर स्थगन आदेश जारी किया गया और बाद सुनवाई अपीलान्ट की अपील आदेश दिनांक 12.01.2014 से खारिज कर दी गई। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय व माननीय न्यायालय के आदेश को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी सख्या 294/2004 अनवानी ग्राम पंचायत बनाम जैल सिंह वगैरा के माध्यम से चुनौती दी। राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत होने पर स्थगन आदेश जारी किया और बाद सुनवाई अपीलांट की निगरानी स्वीकार कर आवश्यक निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर कब कब्जा लिया और बेदखली की मियाद कब समाप्त होती है यह भी जांच का विषय है कि अप्रार्थी संख्या 1 जैला सिंह को विवादग्रस्त आराजी कब आवंटन हुई और कब कब्जा दिया गया। आवंटन के बाद तक कितने वर्ष तक वह काबिज रहा अथवा उसके बाद दूसरे से काश्त करवाई गई आवंटन की किश्तें भी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवंटी द्वारा जमा करवाई गई है अथवा नहीं। इन सभी तथ्यों की जांच कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित कर दिया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायलय को प्रति प्रेषित करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व व राजस्व मण्डल अजमेर के प्ररकण में दिये गये निर्देश की पालना न कर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को देने का आदेश दिया है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून तथ्यों के विपरीत विधि विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के दिये गये निर्देश की पालना न करते हुए पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को माननीय राजस्व मण्डल से आवश्यक निर्देश दिये गये थे कि वादग्रस्त भूमि पर ग्राम पंचायत ने कब्जा कब किया है। अपीलान्ट की बहस व प्रस्तुत दस्तावेज प्रस्ताव दिनांक 04.05.1969 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट काबिज है और आावेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 21.03.2001 तक निरन्तर काबिज है और प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कब्जा से बाहर हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2001 को प्रस्तुत किया गया था जो 42 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया था जो मियाद बाहर था और बेदखली की मियाद समाप्त हो चुकी थी । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अंदाज कर राज्य सरकार की सूचना का गलत हवाला देकर प्रार्थी का गरीब व्यक्ति बताकर प्रार्थना पत्र को अन्दर अवधि मानने में विधिक भूल की है। राजस्व मण्डल का दूसरा निर्देश था कि विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी को कब आवंटन हुई व कब्जा कब दिया गया। आवंटन के बाद तक कितने वर्षो तक वह काबिज रहा अथवा उसके बाद दूसरे से काश्त करवाई। अधीनस्थ न्यायालय ने इस निर्देश को छुआ तक नहीं और न अपने निर्णय में अंकित किया। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने कभी भी काश्त की ही नहीं और न ही कोई कब्जा काश्त करने का सबूत प्रस्तुत किया। जब प्रार्थी को कब्जा दिया ही नहीं गया और न कब्जा मिला तो प्रार्थी द्वारा भूमि काश्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा कब्जा न लेने व काश्त न करने से काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत प्रार्थी के अधिकार समाप्त हो चुके थे और प्रार्थी के कोई अधिकार शेष नहीं थे। राजस्व मण्डल का तीसरा निर्देश था कि आवंटी ने आवंटन की किश्त जमा करवाई या नहीं ? आवंटी ने कोई किश्त जमा नहीं करवाई है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर न कर, न इस बिन्दु की जांच कर आवंटन की किश्ति जमा करवाये वगैरा अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत विधिक व्यक्ति है और अनुसूचित जाति की परिभाषा में नहीं आती है। प्ररकण हाजा में 183 बी आरटीए के प्रकरण प्रभावी नहीं थे। आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी तहसीलदार के आदेश क्रमांक 152 दिनांक 20.03.1969 को अपीलाधीन भूमि स्थाई तौर से आवंटन कर दी थी और ग्राम पंचायत वादग्रस्त भूमि की मालिक थी और काबिज है। उक्त तथ्य पटवारी रिपोर्ट से साबित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 23.12.2015 निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट जैल सिंह पुत्र बधेर सिंह ने दिनांक 21.03.2001 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी जैल सिंह चक 28 एमजेडी के खाता सख्या 94 /93 के पत्थर नम्बर 73/174 के मुरब्बा

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नम्बर 20 के किला नम्बर 16,18, 22 ता 25 पत्थर नम्बर 74/175 के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 1 ता 5 जो कुल 11 बीघा बनते है जबकि 13 बीघा रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी का गैर खातेदारी भूमि है जिस पर अपीलांट व ओमप्रकाश, महेन्द्र ने कब्जा कर लिया है इनको बेदखल कर कब्जा प्रार्थी/ रेस्पोडेन्ट को दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र सख्या 02/2001 पर दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 11.03.2002 से स्वीकार कर अप्रार्थी/अपीलांट को बेदखल कर कब्जा दिलाने का आदेश दिया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश को माननीय न्यायालय में अपील संख्या 09/2002 अनवानी ग्राम पंचायत बना जैल सिंह वगैरा के माध्यम से चुनौती दी। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय व माननीय न्यायालय के आदेश को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी सख्या 294/2004 अनवानी ग्राम पंचायत बनाम जैल सिंह वगैरा के माध्यम से चुनौती दी।माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायलय को प्रति प्रेषित करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व व राजस्व मण्डल अजमेर के प्ररकण में दिये गये निर्देश की पालना न कर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को देने का आदेश दिया है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून तथ्यों के विपरीत विधि विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के दिये गये निर्देश की पालना न करते हुए पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को माननीय राजस्व मण्डल से आवश्यक निर्देश दिये गये थे कि वादग्रस्त भूमि पर ग्राम पंचायत ने कब्जा कब किया है। अपीलान्ट की बहस व प्रस्तुत दस्तावेज प्रस्ताव दिनांक 04.05.1969 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट काबिज है और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 21.03.2001 तक निरन्तर काबिज है। ग्राम पंचायत विधिक व्यक्ति है और अनुसूचित जाति की परिभाषा में नहीं आती है। प्ररकण हाजा में 183 बी आरटीए के प्रकरण प्रभारी नहीं थे। आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी तहसीलदार के आदेश कमांक 152 दिनांक 20.03.1969 को अपीलाधीन भूमि स्थाई तौर से आवंटन कर दी थी और ग्राम पंचायत वादग्रस्त भूमि की मालिक थी और काबिज है। उक्त तथ्य पटवारी रिपोर्ट से साबित है। चक 28 एमजेडी की पानी की बारी सिंचाई खण्ड प्रथम हनुमानगढ के द्वारा स्वीकृत बाद मालिक ग्राम पंचायत जो पर्ची लागू 06.05.2002 को हुई सलंग्न है। सैल रजिस्टर तहसील सादुलशहर पेज–47 नोट अंकित पर यह दर्शाया गया है कि जैला सिंह नाम का व्यक्ति गाव आबाद न होने के कारण उक्त रकबा खारिज कर यह रकबा ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला को विकास कार्यो हेतु आवंटन किया जाता है (सलंग्न मिश्ल है) जैला सिंह पुत्र बधेर सिंह मजबी ने आज तक कोई भी किश्त जमा नहीं करवाई न ही खातेदारी ली है रकबा गैरखातेदारी है। आवंटन से (1969) से लगातार ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला का कब्जा काश्त रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 23.12.2015 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि फर्द्व मौका दिनांक 15.01.2016 जो रिकार्ड में उपलब्ध है के अनुसार अतिक्रमी ग्राम पंपचायत बहरामपुरा बोदला व काश्तकार देवीलाल पुत्र ज्ञानाराम कौम मेधवाल को बेदखल कर जैला सिंह पुत्र बधेर सिंह कौम मजहबी सा हाथियावाली उक्त रकबा मय काश्त दिया से प्रमाणित है कि कब्जा जैलासिंह पुत्र बधेर सिंह कौम मजहबी का ही कब्जा काश्त है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें अप्रार्थी जैलासिंह को उक्त भूमि का कब्जा दिलवाया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी का अवलोकन किया जिसके अनुसार विवादित आराजी ग्राम 28 एमजेडी वर्ष 2009 जमाबन्दी में जैलासिंह वल्द बघेर सिंह कौम मजबी सा. हाथियावाली के नाम गैरखातेदारी दर्ज है। ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला को भूमि आवंटन का तो विवरण अभिलेख में मिलता है परन्तु उसके नाम नामांतरकरण भरा जाकर अमल दरामद होना नहीं पाया गया। ग्राम पंचायत को आवंटन यह अंकित करते होना पाया है कि सायल के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत में नहीं है लिहाजा भूमि ग्राम पंचायत को आवंटित की जाती है। सेल रजिस्टर में भी इसका इन्द्राज पाया है। सिंचाई पानी की बारी ग्राम पंचायत के नाम जारी है।

विवादित भूमि के सम्बन्ध में कब्जा की स्थिति भी अलग–अलग पाई गई है। ग्राम पंचायत ने इसे लगातार कई वर्षो तक नीलाम कर इसका निष्पादन किया है। गैरखातेदार जैला सिंह के कब्जे में तब तक वह भूमि नहीं रही और उसके द्वारा भूमि की किश्ते भी नहीं भरी। रिकार्ड पर पाई दो मौका फर्द भी कब्जे की स्थिति की पुष्टि करती है जो क्रमशः 15.01.2016 तथा दैनिक डायरी दिनांक 11.03.2016 है। पहले वाली फर्द में कब्जा जैलासिंह पुत्र बघेर सिंह को सौंपा गया है जबकि बाद में मौके पर जैला सिंह पुत्र बघेर सिंह नहीं मिला और फसल का कब्जा देवीलाल पुत्र ज्ञानाराम को सुपुर्द किया गया। ग्राम पंचायत के सचिव/सरपंच के हस्ताक्षरों से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के अनुसार वर्तमान में कब्जा इकरारनामा से खरीददार हरीराम मेघवाल निवासी अलीपुरा द्वारा आगे काश्त हिस्से पर हरीराम पुत्र पुरखा राम निवासी मन्नीवाली को दे रखा है। ऐसी स्थिति में फिलहाल न तो ग्राम पंचायत का स्वत्व और न ही गैर खातेदार जैलासिंह का ही खातेदारी अधिकार का हक तय हो पाया है। उभय पक्ष अपने–अपने पक्ष में खातेदारी घोषणा के लिए अपना दावा सक्षम न्यायालय में करने हेतु स्वतन्त्र है। तब तक विवादित आराजी का कब्जा बहक सरकार लिये जाने एवं उसके समुचित प्रबंधन के लिए तहसीलदार सादुलशहर को रिसीवर नियुक्त किया जाता है, जब तक कि सक्षम न्यायालय से पक्षकारों में से किसी के पक्ष में स्वत्व संबंधी निर्णय नहीं हो जाता। तहसीलदार सादुलशहर तत्काल निर्णय की पालना करावे। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तथा तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ भेजी जावें एंव रिकार्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/12/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।